

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या 32 / 2018

पैरोकार सरकार

.....प्रार्थी

बनाम

~~तेजशिरंह व काल~~

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 131, 132
संपठित भूअभिलेख नियम 1957 के
नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार

निर्णय

दिनांक : 22/5/18

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार जमवारामगढ ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3 (2)राज-6 पार्ट दिनांक 10 अगस्त, 2016 की पालना में इस प्रार्थना का प्रस्तुत किया है कि ग्राम राणपुरवास्ताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के आराजी खसरा नम्बर 308/6 भूमि जिसकी खातेदारी तेजशिरंह के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसकी लम्बाई 60 मीटर चौड़ाई 5 मीटर का जिसका कुल क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर है।

चूंकि मौके पर चालू सार्वजनिक रास्ता/सड़क आवागमन के काम आ रही है तथा भूमि का स्वरूप भी परिवर्तन हो चुका है जिसके फलस्वरूप इस सड़क का रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना आवश्यक है जिससे की राजस्व रिकार्ड की सही एवं नक्शा की स्थिति अद्यतन रह सकें।

इसने पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट तहसीलदार जमवारामगढ एवं जमाबन्दी तथा संलग्न नक्शों का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त सड़क का रिकार्ड में अमल किया जाना हमारी राय में आवश्यक है। अतः राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 संपठित भूअभिलेख नियमावली 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार राजस्थान सरकार की खातेदारी में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न नक्शों के अनुसार भूमि की लम्बाई चौड़ाई रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रस्ताव एवं संलग्न नक्शा आदेश का भाग के अनुसार रिकार्ड में अमल कर पालना से अवगत करावें। निर्णय आज दिनांक 22/5/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ